

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0 आई0 यू0 ।।,
कपकोट, बागेश्वर।

विषय:— जनपद—बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट—पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग से काफली कमेड़ा मोटर मार्ग हेतु 6.287 है0 के निर्माण के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/13065/2015)

संदर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 02-08-2018

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया पत्र में उल्लिखित स्यवं से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं की सूचना ऑन लाईन करते हुए तीन हार्ड प्रतियों में शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, एवं वन प्रभाग के स्तर से प्रदान की जाने वाली सूचनाओं हेतु वन प्रभाग से सामन्जस्य स्थापित कर सूचनाएँ शीघ्र प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करवायें। सूचना ससमय उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव को निरस्त भी किया जा सकता है।

संलग्न:—यथोपरि।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/252/2016/एफ.सी./912

दिनांक 02.08.2018

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-जनपद - बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट-पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग से काफली कमेड़ा मोटर मार्ग हेतु
6.287 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/13065/2015)

महोदय,

Reply of this office EDS dated 14.03.2018 uploaded online by State Govt. on 06.07.2018 was examined. In this regard, I am directed to inform that the State Govt. may attend the shortcomings as mentioned below:-

1. Regarding point no. 3 of previous EDS dated 13.03.2018, correct ownership proof is still not uploaded at para L(iv) f.

Action Required:- State Govt. may upload ownership proof of area proposed for CA at para L(iv) f online Part I.

2. Following documents have not been found uploaded in web portal.

(i) MOU/agreement executed b/w the present owner and the user agency at para L(iv) g.

(ii) Non encumbrance's certificate for the forest land at para L(iv) h.

(iii) Financial outlay.

(iv) CA scheme.

(v) CA site suitability certificate.

Action Required:- The State Govt. may upload the above mentioned documents at designated place online.

3. Regarding point no. 5, all documents are submitted in photocopies.

Action Required: The State govt. may submit original hard copy of complete proposal.


Cont....

4. Regarding point no. 10, information provided at para 6 online Part II is still not corrected.

Action Required: State Govt. may submit comprehensive information at para 6 online Part II


यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,


कृत तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:-

1. आदेश पत्रावली।


कृत तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

11 032

21 031 36937, 36890